जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 68वीं बैठक दिनांक 01-10-2004 को अपरान्ह् 12.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 8 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोतियां, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा आईटम सं. 1 :-

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि0 योजना लि0 कृष्णा कालोनी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू उपयोग नर्सरी ओर्चाड है इसलिए जोन भू- उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करें तत्पश्चात प्रकरण को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. 2 :-

हथरोई गढ़ी गृ0नि0स0 समिति की योजना शंकर विहार विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

पूर्व में योजना अनुमोदन हेतु प्रकरण बीपीसी (एल0पी0) की बैठक दिनांक 24.09.2003 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें आवासीय क्षेत्रफल 75.16 होने के कारण आवासीय क्षेत्र में शिथिलता दिए जाने के क्रम में पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। निर्णयानुसार पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाई गयी थी। राज्य सरकार ने शिथिलता नही दिए जाने के संबंध में आदेश देते हुए पत्रावली वापिस प्राधिकरण में भिजवादी है। जोन द्वारा सडको की चोडाई 30' से 40' कर के आवासीय क्षेत्रफल 67.66% रखते हुए एजेण्डा भिजवाया है। प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि उपायुक्त पहले मौके पर 40' सड़क कायम करें और तत्पश्चात ही प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाए।

एजेण्डा आईटम सं. 3 :-

आनन्द भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना लायन्स कालोनी के अनुमोदन के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का उपयोग नर्सरी ओचार्ड है इसलिए जोन द्वारा उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने तथा प्रस्तावित सडको की चौडाई की उपलब्धता के संबंध में जोन द्वारा मौके की वस्तु रिर्पोट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. 4 :-

शिवशंकर गृ0नि0स0 समिति की योजना शिव विहार ई के अनुमोदन के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पूर्व में योजना अनुमोदन हेतु प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 24.09.2003 में लिए गये निर्णय के क्रम में आवासीय उपयोग में शिथिलता दिए जाने के वास्ते पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाई गयी थी। राज्य सरकार ने पत्रावली प्राधिकरण में वापस भिजवादी है जिसमें शिथिलता नही दिए जाने के निर्देश है। जोन द्वारा सडको की चोडाई 30' से 40' कर प्रस्ताव भिजवाये है जिसके अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 69.31% है। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि उपायुक्त पहले मौके पर 40' सड़क कायम करें और तत्पश्चात ही प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाए।

एजेण्डा आईटम सं. 5 :-

श्री महावीर स्वामी गृ0नि0स0 समिति की योजना श्री राम विहार के अनुमोदन के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। सेक्टर प्लान के अनुसार योजना में 160' व 60' की सडक गुजरती है इसलिए 160' व 60' चोडी सडक में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत कर शेष भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. 6 :-

श्री महावीर स्वामी गृ0नि0स0 समिति की योजना अरावली हिल्स के अनुमोदन के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात निम्न शर्तो के अनुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

1. सेक्टर प्लान के अनुसार 40' सडक भूखण्ड सं0 28 व पार्टली 27 में जा रही है इसलिए भूखण्ड सं0 28 को अस्वीकृत किया जावे।
2. भूखण्ड सं0 1 से 22 व 31 से 49, 71 व 56 के सामने की सड़क की चोडाई 40'-0'' की जावे।
3. सडक के बीच में आ रहे पोल को हटवाया जावे।

एजेण्डा आईटम सं. 7 :-

शिव शंकर गृ0नि0स0 समिमि की योजना ओम विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 64.46% है इसलिए आवासीय क्षेत्रफल 60% रखते हुए संशोधित योजना मानचित्र लिए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. 8 :-

तोपखाना देश गृ0नि0स0 समिति की योजना बुद्ध विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। सरकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र में दर्शांये भूखण्ड मौके पर स्थिति भूखण्डों से मिलान नही करते है तथा आवासीय क्षेत्र 62.5% है जबकि निर्मित भूखण्ड 20% ही है इसलिए सहकारी समिति से आवासीय क्षेत्रफल 60% रखते हुए संशोधित मानचित्र लिए जाने का निर्णय लिया गया भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही भी की जाए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुईं।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 149
दिनांक :- 07/10/2004

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।